कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)

(आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

क्रमांक :– सहा0 / 20 / 11　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः– 01-01-21

प्रेषितिः–

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान – जयपुर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 मे प्राकृतिक आपदा बाढ़ से मृत्यु के प्रकरण मे राशि माईनस मद मे जमा हो जाने के कम मे बजट मांग के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के सहायता स्वीकृति आदेश कमांक 175 दिनांक 15.10.2019

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश से निम्न प्रकरण मे सहायता स्वीकृत की गई थीः–

क. स.	अनुदान का प्रकार	मृतक व्यक्ति का नाम व पता	तहसील क्षैत्र	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम व सम्बन्ध	(आवश्यक बजट) स्वीकृत राशि	विवि / घटना दिनांक
1	बाढ़ से नदी मे डूबने से	सुश्री प्रिया पुत्री मूलचन्द शर्मा नि0 रायथल	तह0 बून्दी	मूलचन्द आ0 दुर्गालाल शर्मा नि0 रायथल (पिता)	4,00,000/-	17.09.19

उक्त प्रकरण मे पीड़ित व्यक्ति श्री मूलचन्द आ0 दुर्गालाल का भुगतान कार्यालय के बिल संख्या 326 दिनांक 09.12.2019 से कोषाधिकारी बून्दी को पे–मैनेजर से श्री मूलचन्द के खाता संख्या 17338100001440 मे भुगतान हेतु भिजवाया गया था दिनांक 28.01.2020 को आईएफएससी कोड गलत होने के कारण भुगतान रिजेक्ट हो गया जिसके कम मे पुनः भुगतान हेतु माह मार्च मे ई–एडवाईज करेक्शन भिजवाया गया था। जिसके कम मे वित्तीय वर्ष 2019–20 मे भुगतान रिजेक्ट होने का मैसेज पे–मैनेजर पर प्राप्त नही हुआ। आवेदक द्वारा कार्यालय मे उपस्थित होकर भुगतान नही होने के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है जिसके कम में पे–मैनेजर पर ज्ञात हुआ कि उक्त राशि 4.00 लाख का भुगतान कोषालय बून्दी द्वारा टीवी संख्या 214 दिनांक 25.06.2020 द्वारा माईनस मद मे पुनः राजकोष मे जमा करवा दिया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विभागीय बजट मद 2245–02–111–02–01– 12 मे चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 मे राशि 4.00 लाख रू का बजट आवंटन करने का श्रम करे ताकि प्रकरण मे पीड़ित व्यक्ति को भुगतान किया जा सकें।

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
कलेक्ट्रेट, बून्दी